बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या–2158 दिनांक–28.07.2018

राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने बिहार सड़क सुरक्षा नियमावली, 2017 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–1885 दिनांक 19.04.2017 द्वारा बिहार के राजपत्र असाधारण अंक 299 में दिनांक 20.04.2017 से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया।

चूकि उक्त गजट अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं; और

चूकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में सड़क सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय की कमेटी से प्राप्त कुछ सुझावों एवं नए प्रावधानों को उक्त पूर्व प्रकाशित प्रारूप में जोड़ा गया है।

विधि विभाग के द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रदत् शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन उससे प्रभावित होनेवाले सभी व्यक्ति की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित किया जाता है तथा इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों की समाप्ति के बाद नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

उक्त नियमावली प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्ति एवं सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैय्या भवन, बेली रोड, पटना–800015 को भेजा जा सकता है।

नियमावली–प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) यह नियमावली बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ। –(1) इस नियमावली में जबतक कि विषय/संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का अध्यक्ष अथवा जिला सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष, जो भी लागू हो;

(ख) ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है हरेक सम्बद्ध पणधारी विभागों की समन्वय समिति जो लीड एजेन्सी को उन्हें समनुदेशित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के घटकों के कार्यान्वयन हेतु सहायता पहुँचाने के लिए गठित की जाती हो;

(ग) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्;

(घ) ''जिला'' से अभिप्रेत है कोई राजस्व जिला;

(ङ) ''जिला कलेक्टर'' से अभिप्रेत है कि किसी राजस्व जिला का कलेक्टर;

(च) ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति;

(छ) "कार्यपालक समिति" से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में नियम 12 में नामित सदस्यों के साथ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की कार्यपालक समिति;

(ज) ''मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है कार्यपालक समिति का कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात् विकास आयुक्त, बिहार;

(झ) ''स्वर्णिम घंटा'' से अभिप्रेत है कि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति का प्रथम एक घंटा जिसमें समूचित चिकित्सा उपलब्ध कराकर अधिकांश दुर्घटना पीड़ितों के जीवन की रक्षा की जा सके;

(ञ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है यथास्थिति भारत सरकार अथवा बिहार सरकार, जैसा लागू हो;

(ट) ''लीड एजेन्सी'' से अभिप्रेत है सड़क सुरक्षा से संबंधित अलग संगठन जो राज्य परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य पणधारी विभाग तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित संस्थाएँ से प्राप्त पर्याप्त एवं सक्षम पूर्णकालिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों से निर्मित एजेन्सी;

(ठ) '''स्थानीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन गठित पंचायत अथवा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित नगरपालिका;

(ड) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का सदस्य सचिव अर्थात् प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग या कोई पदाधिकारी जो नये पदनाम से अधिसूचित किया गया हो या इस उद्धेश्य से सरकार द्वारा नामित हो, जैसा लागू हो और जिला सड़क सुरक्षा समिति का सदस्य सचिव अर्थात् जिला परिवहन पदाधिकारी या इस आशय हेतु सरकार द्वारा नामित कोई पदाधिकारी, जैसा लागू हो;

(ढ) ''नोडल विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015 के अधीन यथा अधिसूचित परिवहन विभाग;

(ण) ''नोडल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है परिवहन विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी एवं लीड एजेन्सी के नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी;

(त) "प्रभारी पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, लीड एजेन्सी, के नियंत्रण में पणधारी विभागों के प्रभारी पदाधिकारी;

(थ) "सार्वजनिक स्थल" से अभिप्रेत है सड़क, गली, रास्ता अथवा अन्य स्थल चाहे आम रास्ता हो अथवा नहीं, जिसमें लोगों को पहुँच का अधिकार हो और इसमें ऐसा कोई स्थल अथवा ठहराव स्थल भी शामिल है जहाँ मंजिली (स्टेज कैरेज) गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया जाता हो अथवा उतारा जाता हो;

(द) "सड़क सुरक्षा कोषांग" से अभिप्रेत है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर एवं आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के सीधे नियंत्रण में सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दो के कार्यान्वयन हेतु कार्य करने वाला कोषांग;

(ध) "स्कीम" से अभिप्रेत है सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा बनाए गए स्कीम अथवा परियोजना;

(न) "सचिवालय" से अभिप्रेत है परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–800001 में अथवा परिषद् द्वारा अधिसूचित किसी अन्य उपयुक्त स्थल में अवस्थित लीड एजेन्सी सहित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का सचिवालय;

(प) "पणधारी विभाग" (स्टेक होल्डर) से अभिप्रेत है वैसे सभी सरकारी विभाग जो सड़क सुरक्षा कार्य से जुड़े हों;

(फ) "स्टेक होल्डर एजेन्सी" (स्टेक होल्डर) से अभिप्रेत है वैसे सभी गैर–सरकारी संस्थाएँ जो सड़क सुरक्षा कार्य से जुड़े हों।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59, 1988), केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में इनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए है।

3. **परिषद् का गठन।**–(1) अधिसूचना संख्या 5576 दिनांक 11 जुलाई, 1996 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन पूर्व में गठित विद्यमान राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एतद्द्वारा इस नियम के उपनियम (5) के अनुसार पुनगर्ठित की जायेगी।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक परिषद् जो "बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्" कहलाएगी, उस तारीख के प्रभाव से गठित/पुर्नगठित कर सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) परिषद् उपर्युक्त नाम से एक स्वायत निकाय होगी जिसे इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगा ताकि चल और अचल संपत्ति अर्जित, धारित और निष्पादित की जा सके और संविदा की जा सके और उक्त नाम से वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(4) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, निम्न नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित सदस्यों से गठित होगी।

4. **पदेन सदस्य।**–

(1) मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार – अध्यक्ष;

(2) विकास आयुक्त, बिहार – सदस्य–सह–कार्यपालक पदाधिकारी;

(3) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग – सदस्य;

(4) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य;

(5) प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग – सदस्य;

(6) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग – सदस्य सचिव;

(7) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग –सदस्य;

(8) प्रधान सचिव/सचिव, सड़क निर्माण विभाग – सदस्य;

(9) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग – सदस्य;

(10) प्रधान सचिव/सचिव उत्पाद, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग– सदस्य;

(11) प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग – सदस्य;

(12) महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ– सदस्य;

(13) अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग– सदस्य;

(14) राज्य परिवहन आयुक्त – सदस्य ;

(15) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय पदाधिकारी– सदस्य;

(16) प्रभारी पदाधिकारी, लीड एजेन्सी – सदस्य;

(17) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम – सदस्य;

(18) पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना – सदस्य;

(19) सचिव, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार, बिहार, पटना– सदस्य;

प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अन्य विभाग का वैसा कोई भी पदाधिकारी जो सड़क सुरक्षा के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए जब और जैसा आवश्यक हो– सदस्य;

5. **गैर–सरकारी सदस्य।**– (1) बिहार सरकार द्वारा नामित सड़क सुरक्षा के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ, जिसमें से एक महिला होंगी;

(2) बिहार सरकार द्वारा निबंधित परिवहन व्यापार संघो से दो नामित सदस्य;

(3) बिहार सरकार द्वारा, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वंय सेवी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थानों से दो नामित सदस्य;

(4) परिषद् के नामित सदस्य नामांकन की तिथि से दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे परन्तु सरकार इनको एक कार्यावधि के लिए नामित कर सकेगी।

6. **परिषद् की सदस्यता की समाप्ति।**– परिषद् का कोई सदस्य ऐसा सदस्य न रह जाएगा, यदि

(1) उसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा

(2) वह सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, अथवा

(3) वह नैतिक अधमता में संलिप्त दांडिक अपराध में दोष सिद्ध हो गया हो, अथवा

(4) वह बिना कारण बताये मिशन की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(5) सरकार परिषद् के किसी नामित सदस्य को हटा सकेगा।

7. **परिषद् के शक्ति एवं कृत्य।**–

(1) (i)परिषद्, बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015, कार्ययोजनाओं, केन्द्र या राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी या अन्य कोई प्राधिकृत संस्थानों द्वारा निर्गत निदेशों का क्रियान्वयन सुनिशिचित करना।

(2) (i)राज्य में सड़क सुरक्षा के मसले पर शीर्ष नीति निर्माण स्वायत संस्था के रुप में कार्य करना;

(ii) राज्य में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए मानवीय एवं वित्तीय संसाधन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के साथ संबंध स्थापित करना;

(iii) सड़क सुरक्षा निधि नियमावली के अनुसार सड़क सुरक्षा निधि का प्रबंध करना और विनियमित करना;

(iv) केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता में कमी का अनुभव होने पर स्थानीय संसाधनों को जुटाने के लिए अर्थोपाय की युक्ति निकालना;

(v) परिषद् के नाम से सशर्त अथवा बिना शर्त दान माँगना और स्वीकार करना तथा परिषद् के लिए कोई भूमि, भवन और सुविधाएँ अर्जित करना जो परिषद् की राय में परिषद् के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हो;

(vi) जब कभी अपेक्षित हो उप समिति (समितियाँ) नियुक्त करना;

(vii) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यों का पुनर्विलोकन और पर्यवेक्षण करना;

(viii)प्रत्येक पणधारी को प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने हेतु, आवश्यक सहयोगी संरचनाओं का सृजन करना;

(ix) वाह्य परितंत्रों, शैक्षणिक समुदाय, निजी क्षेत्र, परिवहन संघ एवं सिविल सोसाइटी के ज्ञान संसाधनों और अनुभवों का लाभ उठाने के लिए करार तथा संस्थागत व्यवस्था विकसित करना और सड़क सुरक्षा के मुद्दे का अनुपालन करना;

(x) सड़क सुरक्षा के मापदंड एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित और लागू करना;

(xi) सड़क सुरक्षा से संबंधित स्कीम, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का सुत्रण, क्रियान्वयन और स्वीकृति प्रदान करना;

(xii) सड़क सुरक्षा से संबंधित दायित्वों के निर्वहण करने वाली सभी संस्थाएँ और सरकारी पणधारी विभागों के कार्यो के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावकारी तंत्र विकसित करना;

(xiii) राज्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों को लागु करना;

(xiv) सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन हेतु, परियोजनाओं और शोध हेतु व्यय अनुमोदित करना;

(xv) आपात् चिकित्सा सेवाओं से संबंधित विषयों पर योजनाओं एवं खर्च का अनुमोदन करना;

(xvi) परिषद्/जिला सड़क सुरक्षा समिति के नेतृत्व में दुर्घटना स्थलों पर बचाव कार्य चलाने हेतु बचाव दलों को तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना;

(xvii) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तंत्र और कार्यप्रणाली को मजबुत करने तथा आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और प्रवाह के लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सहायता उपलब्ध कराना;

(xviii)कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के क्रम में उठे नीतिगत मामलों का हल निकालना और उसका अनुमोदन सक्षम स्तर से सुनिश्चित करवाना। आवश्यकतानुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के बीच समन्वय स्थापित करवाना और अड़चनों को दूर करना;

(xix) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभागों के बीच आनेवाली व्यवधानो को दूर करना एवं समन्वय को सुनिश्चित करना;

(xx) परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार के परिणामिक और अनुषंगिक प्रकृति वाले सभी कर्त्तव्यों, शक्तियों, कृत्यों और अधिकारों का प्रयोग परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(xxi) सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों को परिषद् द्वारा क्रियान्वयन एवं निर्धारित अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पणधारी विभागों के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी सहायता, अनुश्रवण तंत्र, प्रक्रिया–सरलीकरण एवं क्रियान्वयन–सुगमता के साथ–साथ अभिनव समाधान देने के लिए एक विशेषज्ञ ईकाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए परिषद् में परियोजना प्रबंधन ईकाई की स्थापना की जाएगी। इस प्रबंधन ईकाई के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ एवं पेशेवर व्यक्तियों एवं कर्मियों की सेवाएँ ली जाएगी।

(xxii) विभागों के बीच समस्या–समाधान के नवीन तरीकों एवं बेहतर कार्य प्रणाली के अनुभवों का प्रलेखन एवं प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकेगा;

(xxiii) वैसे सभी अन्य कार्यों का निर्वहण, जो सड़क सुरक्षा के उद्धेश्यों को पूर्ण करने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित की जाए।

(xxiv) सरकार के अनुमोदन से, परिषद् के अधीन अध्यापन, प्रशासन, विशेषज्ञ, तकनीकी, अनुसचिवीय और अन्य पद के सृजन हेतु अपना संगठनात्मक संरचना, सेवा शर्त एवं नियुक्ति आदि की प्रक्रिया कर सकेगा एवं सुयोग्य व्यक्तियों की सेवा प्राप्त कर सकेगा।

(xxv) परिषद् को, जब और जैसा आवश्यक समझे, किसी विभाग को, पणधारी विभाग के रूप में पूर्णकालिक या निर्धारित समय के लिए शामिल करने की शक्ति होगी।

(xxvi) (क) सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को हटाने हेतु आदेश देने की शक्तिः– (i) अन्य किसी प्रभावी नियम के विरोध में नही होते हुए, परिषद्, किसी व्यक्ति या अन्य स्रोत्र से प्राप्त शिकायत से संतुष्ट होने पर कि,

(ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का सार्वजनिक सड़क पर कृत्य, या

(iii) किसी वाहन, पशु, प्राधिकृत प्रशासनिक प्राधिकार के स्वीकृति के बिना निर्मित निर्माण, संरचना या सामग्री जिसमें मेहरावों, पोस्टर, प्रर्दशन बोर्ड, विज्ञापन पट, शामियाना, तंबुओ, पंडालों, खम्भों, प्लेटफार्म, मंचों, मूर्तियों, स्मारको एवं अन्य सामान्य संरचनाएँ सम्मिलित हो, के सार्वजनिक रोड पर स्थित होने, या

(iv) सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों या वाहनों का परिचालन, या

(v) सार्वजनिक सड़क के आसपास किसी पेड़, संरचना या भवन की स्थिति की दशा में, या

(vi) सार्वजनिक सड़क के आसपास किसी भवन या परिसर के प्रवेश या निकास,

सड़क दुर्घटना के कारणों या यातायात प्रवाह के अवरोधकों के कारण या ध्यान विर्कषण या किसी वाहन चालक के दृष्टि को विचलित करने का कारण हो तो, परिषद् कारणों को अभिलेखित करते हुए संबंधित व्यक्ति को सीधे या तो सामान्य या विशेष आदेश से, दो महिने के भीतर ऐसे उपाय करने का आदेश दे सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझता है और वैसा व्यक्ति उस आदेशों का अनुपालन विहित समय सीमा में करने हेतु बाध्य होगा, जैसा कि परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट किया जाय।

(vii) उपर्युक्त नियम 7 के उपनियम (क) (i) के विरोध में न होते हुए, आकस्मिकता की दशा में, परिषद् सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और बाधा, जैसा लागू हो, को रोकने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा, और उत्तरदायी व्यक्ति से नियमानुसार खर्च की भरपाई कर सकेगा।

(ख) आदेश निर्गत करने की शक्ति।– (i) तत्समय किसी भी प्रभावी कानून के विरोध में न होते हुए, परिषद्, यदि वह आवश्यक समझता है तो वैसी सड़क को सुरक्षित बनाने हेतु सार्वजनिक सड़क में किसी कार्य या सुधार हेतु बाध्यकारी सुझाव दे सकेगा, और सभी संबंधित सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार ऐसे कार्य को कार्य या सुधार करने के लिए, परिषद् द्वारा निश्चित समय सीमा के अधीन पुरा करने के लिए बाध्य होगा।

परन्तुक इस उपनियम के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कोई आदेश निर्गत नही करेगा, जब तक कि जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हो उसके नियंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श नही कर लिया गया हो।

परन्तुक इस उपनियम के अधीन पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग या स्थानीय स्वायत प्राधिकार के अधीन आने वाले राज्य राजमार्ग/जिला की महत्वपूर्ण सड़कों या ग्रामीण सड़कों से संबंधित कोई आदेश निर्गत नही करेगा, जब तक कि उन क्षेत्रों की सड़कों के नियंत्री प्राधिकार से परामर्श नही कर लिया गया हो।

(ii) यह सरकार के सभी पदाधिकारियों, स्थानीय प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार का कर्तव्य होगा कि नियम 7 के उपनियम (ख) (i) के अधीन परिषद् द्वारा निर्गत आदेशों को लागू करने में सहायता करेगा।

(ग) **खर्च को वसूलने की शक्ति।**– नियम 7 के उपनियम (क) (i) के अधीन निर्गत आदेश अगर किसी व्यक्ति द्वारा लेने से इन्कार किया जाता है, या आदेश के अनुपालन में सफल रहता है तो परिषद् जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने और खतरे को रोकने हेतु कार्रवाई कर सकेगा और वैसे व्यक्ति से नियमानुसार सूद सहित खर्च की वसूली कर सकेगा।

(घ) **राशि भू–राजस्व बकाये की तरह वसुलनीय।**–कार्यपालक पदाधिकारी को इस नियमावली के अधीन, परिषद् को देय कोई राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूली के किसी अन्य तरीके, भूमि पर बकाये राशि के समान वसूलनीय होगा।

8. **कार्यों का निष्पादन।**– परिषद् या कार्यपालक समिति द्वारा निर्णित प्रत्येक विषय परिषद् या कार्यपालक समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार विचारित और निर्णित माना जाएगा, जैसा लागू हो।

9. **रिक्ति इत्यादि की दशा में, परिषद् के कार्यवाही को अवैध न किया जाना।**– परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल रिक्ति रहने या परिषद् के गठन में त्रुटि के आधार पर, अवैध नही ठहराई जा सकेगी।

10. **परिषद् की बैठक।**–(1) परिषद् वैसे समय और स्थान पर बैठक करेगी, जो परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा निर्णित हो, और कृत्यों के संपादन हेतु सामान्य प्रक्रियात्मक नियमों का अनुपालन बैठको में करेगा;

(2) परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी;

(3) परिषद् के सभी सदस्य परिषद् की बैठक में भाग लेगा;

(4) परिषद् की बैठक एक साल में कम से कम दो बार, की जाएगी,

(5) (i) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निश्चित बैठक जिसमें तिथि, समय और स्थान सन्निहित हो, और उपर वर्णित नियम 2 (1) के उपनियम (ड) में यथापरिभाषित सदस्य सचिव द्वारा निर्गत आमंत्रण सूचना सदस्यों को दी जाएगी;

(ii) परिषद् की बैठक की सूचना सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व या तो सदस्य सचिव या उद्धेश्य के लिए प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा संसूचित की जाएगी;

(iii) परिषद् के प्रत्येक सदस्य का गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा;

11. **अध्यक्ष के कृत्य।**– (1) परिषद् का अध्यक्ष बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के बैठकों का अध्यक्षता करेगा;

(2) किसी कार्य के संपादन के लिए, जो उसके विचार से, बैठक में रखना आवश्यक हो, के लिए परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् की असाधारण बैठक किसी समय बुलाई जा सकती है;

(3) जब और जैसा आवश्यक हो विशेष उद्धेश्य के लिए अध्यक्ष उप–समिति/उप–समितियों का गठन कर सकेगा।

(4) परिषद् की बैठक में किसी बिन्दु पर परिषद् के सदस्यों में सहमति नही होने के स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(5) कोई कार्य, जो परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, के संबंध में अध्यक्ष, परिषद् निर्णय ले सकेंगे। ऐसे सभी मामले को परिषद् की अगली बैठक में रखकर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) वह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

12. **कार्यपालक समिति का गठन।**– कार्यपालक समिति निम्न सदस्यों से गठित होगी–

(1) विकास आयुक्त, बिहार –कार्यपालक पदाधिकारी;

(2) प्रधान सचिव, गृह विभाग –सदस्य;

(3) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य;

(4) प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा – सदस्य;

(5) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग – सदस्य;

(6) प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग – सदस्य;

(7) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग – सदस्य;

(8) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग– सदस्य;

(9) प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग – सदस्य;

(10) अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग)– सदस्य;

(11) राज्य परिवहन आयुक्त – सदस्य सचिव;

(12) प्रभारी पदाधिकारी, लीड एजेन्सी – सदस्य;

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु आमंत्रित कर सकेगा;

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आवश्यकतानुसार, कभी भी पणधारी एजेन्सी के सदस्यों को आमंत्रित कर सकेगा;

13. कार्यपालक समिति की शक्ति एवं कृत्य।–

(1) उपर वर्णित नियम 7 में परिषद् के शक्ति एवं कृत्यों का प्रयोग कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा;

(2) कार्यपालक समिति की बैठक में प्रत्येक समन्वय समिति के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा, पूर्व निर्धारित लघु कालिक, मध्य कालिक एवं दीर्घ कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पर्यवेक्षण और प्रगति प्रतिवेदन को तैयार कर परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी;

(3) किसी भी वस्तु और सेवा की प्राप्ति/क्रय करने की प्रक्रिया, प्रचलित सरकारी नियमों एवं प्रावधानों के अधीन, विनिश्चित करना और इसपर स्वीकृति हेतु परिषद् के समक्ष रखना;

(4) सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित सभी पणधारी विभाग के कार्यों का सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं ससमय लक्षित उपलब्धियों को हासिल करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना;

(5) कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सामान्य निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

(6) कोई कार्य, जो सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निर्णय ले सकेगा। ऐसे सभी मामले पर कार्यपालक समिति की अगली बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) कार्यपालक समिति की बैठक में किसी बिन्दु पर कार्यपालक समिति के सदस्यों में सहमति नहीं होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(8) परिषद् द्वारा, समय–समय पर, अवधारित नीतियों एवं पारित निदेशों के कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा कार्यपालक समिति द्वारा की जाएगी।

(9) परिषद् के विनियम, उपविधि और प्रक्रिया की नियमावली तैयार करने और समय–समय पर, परिषद् के उद्देश्यों में यथावश्यक संशोधन, परिवर्तन एवं विखंडन करने में परिषद् की सहायता कर सकेगा।

(10) परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्त प्राक्कलन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने तथा परिषद् से अनुमोदित कराने हेतु सभी आवश्यक कर्रवाई करेगा।

(11) कार्यपालक समिति वार्षिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा एवं इसपर परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(12) परिषद् के अधीन अध्यापन, प्रशासन, विशेषज्ञ, तकनीकी, अनुसचिवीय और अन्य पद के सृजन हेतु संगठनात्मक संरचना, सेवा शर्त एवं नियुक्ति की प्रक्रिया आदि तैयार कर परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(13) परिषद् के कार्यों के संचालन हेतु वस्तु एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति/क्रय हेतु विहित प्रक्रिया का निर्धारण करना।

14. **कार्यपालक समिति की बैठक।**—(1) कार्यपालक समिति वैसे समय और स्थान पर बैठक करेगी, जो कार्यपालक समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्णित हो, और कृत्यों के संपादन हेतु सामान्य प्रक्रियात्मक नियमों का अनुपालन बैठको में करेगा;

(2) कार्यपालक समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी;

(3) कार्यपालक समिति के सभी सदस्य कार्यपालक समिति की बैठक में भाग लेगा,

(4) कार्यपालक समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक दो माह में की जाएगी;

(5) (i)कार्यपालक समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निश्चित बैठक जिसमें तिथि, समय और स्थान सन्निहित हो, और उपर वर्णित नियम 2 (1) के उपनियम (ड) में यथापरिभाषित सदस्य सचिव द्वारा निर्गत आमंत्रण सूचना सदस्यों को दी जाएगी;

(ii) कार्यपालक समिति की बैठक की सूचना सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व या तो सदस्य सचिव या उद्धेश्य के लिए प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा संसूचित की जाएगी;

(iii) कार्यपालक समिति के प्रत्येक सदस्य का गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा;

15. **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के शक्ति एवं कृत्य।—**

(1) कार्यपालक समिति के बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी करेगा;

(2) किसी बिन्दु पर कार्यपालक समिति के सदस्यों के बीच मतैक्यता नही होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा;

(3) कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर आवश्यकता अनुरूप विशेषज्ञों/तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी;

(4) स्कीमों के कार्यान्वयन, नीतियों एवं दिए गए निदेशों के अनुपालन और क्रियान्वयन की समीक्षा;

(5) कार्यपालक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लीड एजेन्सी के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी;

(6) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वैसे सभी बिन्दुओं पर अपने शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी नियम में वर्णित नही है किन्तु सड़क सुरक्षा के मुद्दों के लिए आवश्यक है, और इस पर कार्यपाालक समिति एवं परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(7) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सड़क सुरक्षा विषय के हित में परिषद् के सदस्य सचिव या लीड एजेन्सी को अपनी शक्ति/शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(8) सरकार, परिषद् एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के अन्तर्गत प्रदत् शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन समय–समय पर यथा–निदेशित सभी कर्तव्यों का पालन करना।

16. **सड़क सुरक्षा कोषांग।**–(1) प्रत्येक पणधारी विभागों में एक सड़क सुरक्षा कोषांग उस विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं अपर पुलिस महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग के सीधे नियंत्रण में होगा, जो अपने विभाग के सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, कार्यान्वयन एवं अनुपालन को देखेगा।

(2) प्रारम्भ में निम्नलिखित पणधारी विभागों में सड़क सुरक्षा कोषांग होंगे–

(i) गृह विभाग

(ii) परिवहन विभाग

(iii) शिक्षा विभाग

(iiv) स्वास्थ्य विभाग

(v) पथ निर्माण विभाग

(vi) ग्रामीण कार्य विभाग

(vii) शहरी एवं आवास विकास विभाग

(viii) अपराध अनुसंधान विभाग

परिषद् आवश्यकता अनुरूप अन्य विभागों को शामिल कर सकता है।

17. **परिषद् के सदस्य सचिव के कृत्य।**– (1) नियम 2 (1) के उपनियम (ड) में यथा वर्णित परिषद् के सदस्य सचिव परिषद् और कार्यपालक समिति के दैनिक कार्यों का निष्पादन प्रधान/लीड एजेन्सी के माध्यम से निष्पादित करेगा;

(2) वह, परिषद्, कार्यपालक समिति, लीड एजेन्सी और अन्य पणधारी विभागों के निर्णयों का समन्वय करेगा;

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अधीन समनुदेशित कृत्यों के लिए वह विनियामक होगा;

(4) वह, प्रधान/लीड एजेन्सी के सभी कार्यों के पर्यवेक्षण करने एवं आवश्यक दिशा निर्देश देगा;

(5) परिषद् एवं कार्यपालक समिति की बैठक की सूचना निर्गत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(6) सभी प्रस्तावों, स्कीमों या परियोजनाओं को परिषद् का सदस्य सचिव कार्यपालक समिति के अनुमोदन से परिषद् के पटल पर रखेगा।

18. **लीड एजेन्सी या परिषद् का सचिवालय।**– (1) उपर वर्णित नियम 2 (1) के उपनियम (ट) एवं (न) में परिभाषित परिषद् का लीड एजेन्सी, परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(2) सदस्य सचिव के माध्यम से यह परिवहन विभाग के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा, लीड एजेन्सी का कार्यालय पुलिस, पथ निर्माण, शिक्षा, परिवहन एवं आकस्मिक सेवाएँ से पूर्णकालिक प्रतिनियुक्त कर्मियों से गठित होगा। यह परिषद् के माध्यम से, सरकार की अनुमति से अनुबन्ध पर कर्मियों को नियोजित कर सकेगा;

(3) राज्य परिवहन आयुक्त प्रधान (लीड) एजेंसी का प्रभारी पदाधिकारी होगा;

(4) पणधारी विभागों के समन्वय समितियों के प्रभारी पदाधिकारी लीड एजेन्सी के सदस्य होंगे;

(5) लीड एजेन्सी का कार्यालय परिवहन विभाग में या परिषद् द्वारा अधिसूचित किसी स्थान पर स्थित होगा।

19. **प्रधान (लीड) एजेंसी का गठन।**– (1) लीड एजेन्सी एक स्वतंत्र इकाई होगी, जो राज्य परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य पणधारी विभाग तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की संस्थाओं से समर्थित पर्याप्त एवं सक्षम पूर्णकालिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों से निर्मित होगी।

(2) परिषद् के सदस्य सचिव की देखरेख में लीड एजेन्सी कार्य करेगी।

(3) लीड एजेन्सी के सदस्य।–

(i) परिवहन विभाग के समन्वय समिति का प्रभारी पदाधिकारी राज्य परिवहन आयुक्त– नोडल पदाधिकारी;

(ii) पुलिस विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

(iii) स्वास्थ्य विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (असैनिक सह–शल्य चिकित्सक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

(iv) पथ निर्माण विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून कोटि के पदाधिकारी, से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

(v) ग्रामीण कार्य विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून कोटि के पदाधिकारी, से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

(vi) शिक्षा विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

(vii) नगर विकास एवं आवास विभाग के समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून कोटि के पदाधिकारी)–सदस्य;

20. **लीड एजेंसी की बैठक।–**

(1) लीड एजेन्सी की बैठक यानि की सभी समन्वय समिति के प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक, कम से कम माह में एक बार की जाएगी;

(2) जब आवश्यक हो लीड एजेंसी के नोडल पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी;

(3) लीड एजेंसी के नोडल पदाधिकारी के द्वारा, सड़क सुरक्षा के किसी विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा, जो बैठक में योगदान कर सके।

21. **प्रधान (लीड) एजेंसी की शक्तियाँ और कृत्य।–**

(1) यह राज्य में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए समर्पित संस्था के रूप में कार्य करेगी;

(2) सरकार, परिषद्, कार्यपालक समिति एवं सदस्य सचिव के सड़क सुरक्षा संबंधी लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(3) लीड एजेन्सी, परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित वैसे शक्तियों एवं कृत्यों का संपादन करेगी, जो परिषद् के सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक हो;

(4) सड़क सुरक्षा परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद् की बैठक आयोजित करना, बैठक की कार्रवाई निर्गत करना, राज्य के संबंधित विभागों द्वारा परिषद् के निर्णय के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(5) लीड एजेन्सी का नोडल पदाधिकारी, वैसे सभी विषयों पर परिषद् के सदस्य सचिव के पूर्वानुमति से समुचित निर्णय ले सकेगा, जो सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता हो;

(6) परिषद् द्वारा निश्चित दुर्घटनाओं एवं घातकताओं के वार्षिक लक्ष्य को अधिसूचित करना और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वार्षिक कार्ययोंजना का रूपरेखा तैयार करना तथा इसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण;

(7) सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़ों का निरन्तर संकलन एवं चिन्हित क्षेत्रों/सड़कों तथा दुर्घटना प्रभावितो के वर्गवार आँकड़ों का विशलेषण करना;

(8) प्रधान (लीड) एजेंसी, सड़क सुरक्षा से संबंधित पणधारी विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावकारी भूमिका निभायेगा और सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दो का समाधान करेगा;

(9) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलनों और अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना और उचित माध्यम से इसपर परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करना;

(10) सड़क सुरक्षा निधि का प्रबंधन और निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना;

(11) परिषद् द्वारा विहित तौर–तरीके से बिहार सड़क सुरक्षा निधि के राशि वितरण हेतु लीड एजेन्सी जिम्मेवार होगी;

(12) समय–समय पर समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का राज्य के संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समन्वय और समयाधीन कार्यान्वयन प्रतिवेदन तैयार करना;

(13) समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निदेशों का कार्यान्वयन;

(14) परिषद् एवं सड़क सुरक्षा निधि के व्ययों के वार्षिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक के चयन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना;

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन सुनिश्चित करना।

22. **समन्वय समितियों का दायित्व।**– (1) सभी पणधारी विभागों की समन्वय समिति लीड एजेन्सी के सदस्य के रूप में कार्य करेगी और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर उनके विभाग के अनुपालन/लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी;

(2) वैसे सभी विभाग द्वारा लिए गए वैसे सभी निर्णयो को समन्वय समिति द्वारा लगातार लीड एजेन्सी को संसूचित किया जाएगा;

(3) प्रत्येक समन्वय समिति का स्थूल दायित्व निम्नवत् होगा–

(क) परिवहन के लिए समन्वय समिति।– इस समिति का गठन परिवहन विभाग में की जाएगी और इसका कार्य निम्नलिखित होगा :–

(i) बिहार सड़क सुरक्षा नीति के अधीन विभिन्न उप नीतियाँ बनाना।

(ii) समय–समय पर बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाना एवं संशोधन करना ।

(iii) यह समन्वय समिति सड़क सुरक्षा निधि के बजटीय प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होगी।

(iv) परिवहन परिक्षेत्र में सड़क सुरक्षा के मसले से संबंधित विधायी सुधार।

(v) सुरक्षित स्कूल बस नीति बनाना और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

(vi) वार्षिक रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित सड़क सुरक्षा प्रचार अभियान विकसित करना, उसका अनुश्रवण करना और उसे कार्यान्वित करना।

(vii) चालन प्रशिक्षण विद्यालयों, कम्प्यूटर आधारित चालन जाँच केन्द्रों और इन सुविधाओं को सुधारने से संबंधित प्रौद्योगिक उन्नयन के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

(viii) पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और स्वंयसेवी संस्थाओं का सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना;

(ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में यथा उपबंधित तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर निदेशित सभी सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

(x) सरकार/परिषद् द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।

(ख) प्रवर्तन के लिए समन्वय समिति।– इस समिति का गठन गृह/पुलिस विभाग में की जाएगी और इसका कार्य निम्नलिखित होगा:–

(i) स्पॉटवार, सड़कवार, अधिकारितावार, जिलावार और वर्षवार दुर्घटनाजन्य नुकसानों की संख्या इंगित करते हुए ब्लैक स्पॉटों की पहचान करना।

(ii) निम्नलिखित तत्वों के साथ राज्य के लिए व्यापक सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस विकसित करना–

(क) मानकीकृत दुर्घटना रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रपत्र, जिसमें राज्यस्तरीय एकीकरण और पहुँच हो, का प्रयोग कर सड़क दुर्घटना मामले के अविलंब रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के अभिप्राय से एक व्यापक सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली (आर0ए0डी0एम0एस0)।

(ख) आर0ए 0डी0एम0एस0 में दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों पर व्यापक और सुगम आँकड़ा (डाटा) होना चाहिए।

(ग) राज्य में यातायात उल्लंघन पर व्यापक डाटाबेस।

(iii) सड़क सुरक्षा जिसमें हेल्मेट, सीट बेल्ट जैसे साधन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग, नशे में वाहन चलाने की जाँच आदि पर सभी वर्तमान निदेश तथा समय–समय पर विभिन्न प्राधिकारों से प्राप्त निदेशों का भी प्रवर्तन।

(iv) बिहार के सभी प्रमुख शहरों में सभी यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण।

(v) राज्य यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

(vi) अच्छे नागरिक (गुड समैरिटन) की रक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का प्रचार और प्रवर्तन।

(vii) पणधारी/भागीदार विभागों के प्रतिनिधियों के साथ यातायात प्रबंधन दल का गठन।

(viii) आपात स्थिति में कार्रवाई समय को कम करने के साधन के रूप में ट्रैफिक एड पोस्ट स्कीम अर्थात् अन्य आपात सेवाओं के साथ समन्वित संचार प्रणाली के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(ix) दुर्घटना प्रवण स्पॉटों के निकट भारी क्रेनों तथा दुर्घटना बचाव वाहनों (सी0आर0यू0) की तैनाती का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(x) सम्बद्ध विभागों की सहायता से फुटपाथ (पटरी) और सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(xi) राज्य के सभी शहरों और नगरों में पड़ाव की सुविधाओं का उपबंध करने का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(xii) सरकार/परिषद् द्वारा समनुदेशित कोई अन्य भूमिका।

(ग) आपात देखभाल के लिए समन्वय समिति।– इस समिति का गठन स्वास्थ्य विभाग में की जाएगी और इसके कृत्यों में निम्नलिखित का अनुश्रवण करना और पर्यवेक्षण करना शामिल होंगे:–

(i) पाराचिकित्सा (पारामेडिकल) और विशेषज्ञों से समर्थित अभिघात देखभाल सुविधाओं के उन्नयन।

(ii) संपूर्ण राज्य में एम्बुलेसों के प्रावधान।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों (एन0एच0) राज्य उच्च पथों (एस0एच0) और प्रमुख जिला सड़कों (एम0डी0आर0) के नजदीक रहनेवाले लोग को प्राथमिक उपचार में नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

(iv) आपात देखभाल में तकनीशियनों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण।

(v) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार विभाग द्वारा अभिघात देखभाल के प्राथमिक उपचार में भारी मोटर वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए प्रावधान।

(vi) विभिन्न विभागों द्वारा आपात देखभाल की ली गयी जिम्मेवारी के दिखावटी अभ्यास।

(vii) एन0एच0, एस0एच0 आदि के किनारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्त बैंक की स्थापना।

(viii)अभिघात देखभाल केन्द्रों के उन्नयन।

(घ) अभियांत्रिकी के लिए समन्वय समिति।– सड़क निर्माण विभाग में इस समिति का गठन की जाएगी और इसमें ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य सड़क विकास निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 सहित अन्य विभाग एवं एजेंसियाँ सहयोजित किए जायेंगे और यह निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगीः–

(i) समर्पित सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ii) सड़क सुरक्षा अंकेक्षण की स्थापना (योजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के समय) और निम्नलिखितः–

(क) मौजूदा राज्य उच्च पथों के लिए सड़क सुरक्षा अंकेक्षण पूरा करने की समयावधि;

(ख) सड़क सुरक्षा अंकेक्षण में अपनाए जानेवाले अपेक्षित सभी प्रगामी उपाय।

(iii) भारतीय सड़क कांग्रेस के डिजाइन मानकों के अनुप्रयोग सहित परियोजना के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी के समावेशन।

(iv) निवास स्थान के निकट सड़कों पर सड़क निशान एवं संकेत में सुधार करने और सोलर लाइटिंग प्रावधान करने।

(v) यातायात को कम करने के उपाय को अपनाने।

(vi) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं जिले की महत्वपूर्ण सड़को पर ब्लैक स्पॉटों को खत्म करने।

(vii) साइकिल/गैर मोटर वाहन/एम्बुलेंस/पैदल यात्री, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग के लिए अलग से सड़कों का प्रावधान करने।

(viii)ट्रकों/बसों के लिए पड़ाव का प्रावधान करने

(ix) लंबी दूरी के चालकों के लिए सड़क किनारे सुख–सुविधा की व्यवस्था करने।

(x) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना।

(xi) दुर्घटना की जाँच करने और सड़क सुरक्षा पर शोध करने के लिए एजेंसी की पहचान।

(xii) सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं को आयोजित करने।

(ड़) जागरूकता के लिए समन्वय समिति।– (i) इस समिति का गठन शिक्षा विभाग में की जाएगी।

(ii) सड़क सुरक्षा जागरूकता को शैक्षिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना और प्रोत्साहित करना;

(iii) सामान्य जन में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार विकसीत करना;

(iv) सुरक्षित स्कूल बस नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं को निदेश देना;

(v) समिति को समय–समय पर समनुदेशित अन्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व।

23. **जिला सड़क सुरक्षा समिति।**– अधिसूचना संख्या 5576, दिनांक 11 जुलाई, 1996 द्वारा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन पूर्व में गठित वर्तमान जिला सड़क सुरक्षा समिति इस नियम के नियम 24 के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

(1) हरेक जिला में एक जिला सड़क सुरक्षा समिति होगी।

24. **जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन।–**

(1) जिला कलेक्टर – अध्यक्ष;

(2) जिला पुलिस अधीक्षक – सदस्य;

(3) असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य;

(4) संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण–क्षेत्र के हरेक जिला सड़क सुरक्षा समिति का सदस्य;

(5) अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा)–सदस्य;

(6) जिला परिवहन पदाधिकारी–समिति का सदस्य सचिव;

(7) कार्यपालक अभियंता (सड़क निर्माण विभाग) – सदस्य;

(8) कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) – सदस्य;

(9) जिला के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के प्रभारी अधिकारी– सदस्य;

(10) जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य;

(11) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी – सदस्य;

(12) शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य;

(13) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ सदस्य;

(14) जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित परिवहन संघ का एक प्रतिनिधि;

(15) जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जो सड़क सुरक्षा पर कार्य कर रहा हो;

25. **जिला सड़क सुरक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य।**—(1) यह जिला में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए समर्पित संस्था के रूप में कार्य करेगी;

(2) सरकार, परिषद्, कार्यपालक समिति, लीड एजेन्सी एवं कमेटी के निर्णयों का क्रियान्वयन;

(3) राज्य/परिषद/वार्षिक कार्ययोजना द्वारा निश्चित दुर्घटनाओं एवं घातकताओं के वार्षिक लक्ष्य का कार्यान्वयन;

(4) जिला के सड़क दुर्घटनाओं/घातकताओं के आँकड़ों का मानकीकृत दुर्घटना प्रतिवेदन प्रपत्र में एकात्मक रूप में प्रतिवेदनों का प्रेषण सुनिश्चित करना;

(5) कमेटी, सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी जिला कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावकारी भूमिका निभायेगा और सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दो का समाधान करेगा;

(6) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलनों और अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना और प्रधान/लीड एजेन्सी को भेजना;

(7) सड़क सुरक्षा निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना;

(8) कमेटी, परिषद्/प्रधान (लीड) एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सड़क सुरक्षा निधि के व्यय हेतु जिम्मेवार होगी;

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(10) जिला में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यो के पर्यवेक्षण का अधिकार कमेटी को होगा;

(11) पंचायत, नगरपालिका, वार्ड स्तर, प्रखण्ड स्तर और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा;

(12) जिला में सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रणाली को सशक्त बनाना;

(13) अभिघात केन्द्रों, अस्पतालों और एम्बुलेन्स सेवाओं की देखभाल सुनिश्चित करना एवं उन्हें डाटाबेस प्रणाली से जोड़ना;

(14) पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अच्छे नागरिक (गुड सेमेरिटन) के संबंध में जारी दिशा निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(15) सुरक्षित वाहन चालन, यातायात नियत्रंण और सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतू सभी प्रभावी कदम उठाना;

(16) समिति के सभी सदस्यों के लिए, कमिटी के द्वारा लिए गए, निर्णयों एवं निदेशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

26. **जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक।**—(1) जिला सड़क सुरक्षा समिति वैसे समय और स्थान पर बैठक करेगी, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा निर्णित हो, और कृत्यो के संपादन हेतु सामान्य प्रक्रियात्मक नियमों का अनुपालन बैठको में करेगा;

(2) जिला सड़क सुरक्षा समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी;

(3) जिला सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्य जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भाग लेगा;

(4) जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में की जाएगी;

(5) समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिसमें बैठक की तिथि, समय और स्थान निर्धारित होगा, और इसकी सूचना समिति के सदस्य सचिव अर्थात जिला परिवहन पदाधिकारी या इस उद्धेश्य हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा आमंत्रण सूचना सदस्यों को दी जाएगी;

(6) जिला सड़क सुरक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य का गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

27. **जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के शक्ति एवं कृत्य।**–

(1) जिला सड़क सुरक्षा समिति के बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा;

(2) किसी कार्य के संपादन के लिए, जो उसके विचार से, बैठक में रखना आवश्यक हो, के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति की असाधारण बैठक किसी समय बुलाई जा सकती है;

(3) किसी बिन्दु पर समिति के सदस्यों के बीच मतैक्यता नही होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा;

(4) समिति आवश्यकता अनुरूप समय–समय पर विशेषज्ञों/तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी;

(5) समय–समय पर परिषद्/कार्यपालक समिति द्वारा दिए गए निदेशों, नीतियों के अनुपालन और क्रियान्वयन तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा;

(6) अध्यक्ष, समिति के दैनिक कार्यों को समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से देख सकेगा;

(7) अध्यक्ष, वैसे सभी बिन्दुओं पर अपने शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जो सड़क सुरक्षा के मुद्दों के लिए आवश्यक है, और इस पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(8) वैसे सभी दायित्वों का निर्वहण करेगा, जो सरकार, परिषद् और कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित होगा;

(9) अध्यक्ष, विशेष उद्धेश्य तथा जब एवं जैसा आवश्यक हो, उपसमिति/उपसमितियों का गठन कर सकेगा।

28. **अंकेक्षण।**–बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समिति के आय–व्यय का लेखा समुचित रूप से संधारित किया जाएगा। व्यय का नियमित रूप से अंकेक्षण, महालेखाकार और वित्त विभाग द्वारा बिहार वित्त नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

29. **वार्षिक प्रतिवेदन।**—(1) परिषद् द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस प्रारूप में और उस समय, जैसा कि विहित किया जाय पूर्व वर्ष के क्रियाकलापो का पूर्ण लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन, दिया जाएगा और ऐसा प्रतिवेदन सरकार को समर्पित होगा।

30. **निदेश देने की शक्ति।**—परिषद् के नीतियों के संबंध में सरकार परिषद् को निदेश दे सकेगी और परिषद् ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगी।

31. **नियमावली में संशोधन करने की शक्ति।**—परिवहन विभाग, परिषद् की सहमति से नियमावली में संशोधन करेगी।

32. **परिसंपत्ति।**— परिषद् द्वारा स्थापित की गयी सभी परिसंपत्ति परिषद् की संपत्ति होगी और परिषद् की अनुपस्थिति में यह परिसम्पति परिवहन विभाग, बिहार सरकार का हिस्सा होगी।

33. **प्रकीर्ण खंड।**— बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् कोई अन्य कदम उठाने अथवा कोई तंत्र विकसित करने हेतु जिसे वह यह सुनिश्चित करने हेतु उचित समझे कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था उन्हे पूरा कर लिया गया है।

34. **कठिनाईयों का निस्तार।**— (1) इन नियमों के प्रावधानों के प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, ऐसे अवसर पर जैसा आवश्यक हो।

35. **निरसन और व्यावृत्ति।**— (1) अधिसूचना संख्या 5576 दिनांक 11.07.1996 द्वारा गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्रवाई समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

28/3/18

(संजय कुमार अग्रवाल),
बिहार सरकार के सचिव।

Government of Bihar

Transport Department

<u>Notification</u>

No....2158.......   Dated..28.03.2018

In exercise of the powers conferred by Section 135, 212 and Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No 59 of 1988), the Government of Bihar has published the draft Bihar Road Safety Council Rules, 2017 vide notification no-1885 dated 19-04-2017 of the Transport Department through G.S.R. No-299 dated 20th April, 2017 inviting objections and suggestions from all The Persons likely to be affected by it before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the general public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 20th April, 2017; and

Whereas, some suggestions received from the Committee of the Supreme Court on Road Safety in respect of the said Draft Rules and some provisions have been added in the previously published draft; and

Where in view of the suggestion made by the Law Department and in exercise of the powers conferred by section 135, 212 and section 215 of the Motor Vehicle Acts, 1988, (Act No 59, 1988), the State Government hereby desire to make The Bihar Road Safety Council Rules, 2018 draft of which is Republished under subsection (1) of section 212 of the said Act for information to all the persons likely to be affected thereby and a notice is hereby given that the said Draft Rules will be considered after the expiry of 15 days from the date on which these are published in the Bihar Gazette.

Objections and/or suggestions with respect to the said Draft Rules, received from any person before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the State Government.

Objections and/or Suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Transport Department, Vishweshwaraiya Bhawan, Baily Road, Patna-800015.

DRAFT OF RULES

1. **Short title, extent and commencement.—**(1) These Rules may be called The Bihar Road Safety Council Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall be effective from the date of issue of the Notification.

2. **Definitions.—** (1) In these Rules, unless otherwise requires in the subject/context-

(a) "Chairman" means the Chairman of the State Road Safety Council or the Chairman of the 'District Road Safety Committee', as may be applicable;

(b) "Co-ordination Committee" means Co-ordination Committee of stakeholder departments, constituted to aid and assist the Lead Agency for implementation of the components of the road safety programs assigned to them;

(c) "Council" means the State Road Safety Council constituted under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(d) "District" means a revenue district;

(e) "District Collector" means Collector of a revenue district;

(f) "District Road Safety Committee" means the District Road Safety Committee constituted under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and shall also be known as "Committee";

(g) "Executive Committee" means the Executive Committee of State Road Safety Council, headed by Chief Executive Officer i.e. Development Commissioner of Bihar and comprising of all the members enumerated in Rule 12;

(h) "Chief Executive Officer" means Chief Executive Officer of the Executive Committee i.e. Development Commissioner, Bihar;

(i) "Golden Hour" means the first hour after a traumatic injury when emergency treatment is most likely to be successful;

(j) "Government" means Government of India or Government of Bihar as the case may be;

(k) "Lead Agency" means a separate entity headed by State Transport Commissioner supported by adequate and

competent full time staff drawn or deputed from the Stakeholder Departments;

(l) "Local Authority" means a Panchayat constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, or a Municipality constituted under the Bihar Municipality Act, 2007;

(m) "Member Secretary" means Member Secretary of the Bihar State Road Safety Council i.e. the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department or any officer either notified by a new designation or nominated by the Government for this purpose, as may be applicable, and the District Road Safety Committee i.e. the District Transport Officer or any officer nominated;

(n) "Nodal Department" means Department of Transport as notified under the Bihar Road Safety Policy, 2015;

(o) "Nodal Officer" means an Officer In-Charge of the Co-ordination Committee of the Transport Department as well as head of the Lead Agency;

(p) "Officer In-Charge" means the Officer In-Charge of Co-ordination Committee of the Stakeholder Departments functioning under the control of Lead Agency;

(q) "Public Place" means a road, street, way or other place, whether a thoroughfare or not, to which the public have a right of access, and includes any place or stand at which passengers are picked up or set down by a stage carriage;

(r) "Road Safety Cell" means a cell working under the direct control of Principal Secretary/Secretary of Transport, RCD, RWD, Education, Health, Urban Development and Housing Department and ADG (CID) to look after all the matters related to Road Safety;

(s) "Schemes" means schemes or projects framed by the stakeholder departments or agencies related to Road Safety;

(t) "Secretariat" means the Secretariat of the Bihar Road Safety Council i.e. Lead Agency located in the Transport Department,

Vishweshwaraiya Bhawan, Bailey Road, Patna,-800001 or any other suitable place, notified by the Council;

(u) "Stakeholder Departments" means all such Government Departments who are engaged in the work of Road Safety;

(v) "Stakeholder Agencies" mean all such Non-Governmental partners who are engaged in work of Road Safety in the State;

(2) Words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the same meanings which are assigned to them respectively in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992, and the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, and the rules made there under;

3. Constitution of the Bihar Road Safety Council— (1) The existing State Road Safety Council constituted earlier under section 215 of the Motor Vehicle Act, 1988, vide notification no. 5576 dated 11th July 1996, shall be hereby reconstituted as per sub rule (5) of this Rule.

(2) The Government may, by notification in the official gazette, constitute/reconstitute, with effect from such date as may be specified therein, a Council which shall be called "The Bihar State Road Safety Council".

(3) The Council shall be an autonomous body by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with powers, subject to the provisions of these rules, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to enter into contract and shall by the said name sue and be sued.

(4) The Bihar State Road Safety Council shall consist of the members, as enumerated in Rule 4 and 5 below.

4. Ex. Officio Members.—

(1) Minister, Transport Department, Government of Bihar– Chairman;

(2) Development Commissioner, Bihar— Chief Executive Officer;

(3) Principal Secretary/Secretary, Home Department—Member;

(4) Principal Secretary/Secretary, Health Department—Member;

(5) Principal Secretary/Secretary, Education Department—Member;

(6) Principal Secretary/Secretary, Department of Transport—Member Secretary;

(7) Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing Department—Member;

(8) Principal Secretary/Secretary Road Construction Department (RCD)—Member;

(9) Principal Secretary/Secretary, Rural Works Department—Member;

(10) Principal Secretary/Secretary, Prohibition, Excise and Registration Department—Member;

(11) Principal Secretary/Secretary, Disaster Management Department, Bihar, Patna-Member;

(12) Director General of Police, Bihar Home Guard and Fire Service— Member;

(13) Additional Director General/Inspector General of Police, Crime Investigation Department (CID)—Member;

(14) State Transport Commissioner–Member;

(15) Regional Officer of National Highway Authority of India (NHAI)—Member;

(16) Officer-in-charge, Lead Agency—Member;

(17) Municipal Commissioner of Patna Municipal Corporation—Member;

(18) Superintendent of Police (Traffic), Patna—Member;

(19) Secretary, Bihar Disaster Management Authority, Bihar, Patna-Member;

Principal Secretary/Secretary of any other department as and when, required for the furtherance of matter related to Road Safety;

5. Non-Governmental Members.—(1) Three persons who are experts in the field of road safety, to be nominated by the Government of Bihar, out of which one shall be, a woman;

(2) Two members from the registered Transport Unions to be nominated by the Government of Bihar;

(3) Two Members from NGOs/Institutions etc working in the field of Road Safety to be nominated by the Government of Bihar;

(4) The nominated members of the Council shall hold office for a period of two years from the date of nomination and they may be nominated for one more term.

6. Cessation of membership of the Council.— A member of the Council will cease to be a member if

(1) he expires, or

(2) he resigns from the membership, or

(3) he is proven guilty of moral turpitude involving punishable offence, or

(4) he is absent without assigning reason in three consecutive meetings of the Council.

(5) the Government may remove any nominated member from the membership of the Council.

7. Power and Functions of the Council.—

(1) (i) The Council shall ensure the implementation of the Bihar Road Safety Policy 2015, Action Plans, directions issued either by the Central or State Government, by the Supreme Court Committee on Road Safety or any other authorized institutions;

(2) (i) To serve as the apex policy making body on issues of road safety in the State;

(ii) To tie up with Central/State Government for resources, both human and financial, for successful implementation of the road safety programs in the State;

(iii) To administer and regulate the Road Safety Fund according to the provisions made in the Bihar Road Safety Fund Rules;

(iv) To devise ways and means for generation of local resources in the eventuality of deficit in the financial aid from Central/State Government;

(v) To invite and accept donations, with or without conditions, in the name of the Council and to acquire any land, building and facilities

for the Council, which, in the opinion of the Council, is in keeping with the aims & objectives of the road safety programs;

(vi) To appoint sub-committee(s) as and when required;

(vii) To review and supervise the work of the District Road Safety Committees;

(viii) To create necessary support structure to enable each stakeholder to play his role effectively;

(ix) To develop effective institutional arrangements and enter into agreements for availing the experiences and knowledge resource of educational community, private sector and civil society to involve experts, experienced professionals, transport associations and students for ensuring effective policy framing and compliance of road safety issues;

(x) To prescribe and enforce road safety standards and procedures;

(xi) To formulate, implement and sanction schemes, projects and programs, relating to road safety;

(xii) To develop effective mechanism co-ordinating the functions of all the agencies and Governmental stakeholder departments discharging the duties related to road safety;

(xiii) To implement road safety awareness programmes in the State;

(xiv) To sanction expenditure for the conduct of studies, projects and research on matters relating to road safety;

(xv) To sanction schemes and expenditure on matters related to emergency medical services;

(xvi) To encourage formation of rescue teams under the leadership of the Council/District Road Safety Committee for the rescue operations in the place of accidents;

(xvii) To encourage documentation and sharing of experiences of modern methods and better work mechanisms of problems resolution among departments;

(xviii) To provide assistance in strengthening of monitoring mechanism and methodology for road safety programs and encourage use of modern techniques in Data collection, analysis and flow;

(xix) To help in providing solutions to policy issues cropping up during the implementation of programs and ensure their approval from appropriate forum;

(xx) The Council will make use of any power, duties, functions and responsibilities which is consequential of and relevant to fulfilling the objectives of the Road Safety Policy.

(xxi) For Implementation of programs of Road Safety and achievements of targets in stipulated time frame, the stakeholder departments will require the services of specialised units to provide assistance in programme management, technical help, monitoring mechanism, process simplification and implementation-ease as well as innovative solutions. For this a Project Management Unit will be established in the Council. The services of domain experts, professionals and other personnel will be taken in this PMU.

(xxii) To ensure coordination and removal of difficulties among departments in implementation of programs;

(xxiii) To discharge such other functions, as may be prescribed by the Central/State Government, having regard to the objects of the road safety.

(xxiv) The Council may create its own organisational structure, service conditions and appointment procedures regarding administration, scholars, experts, technical, secretarial and other posts and in this context avail service of suitable persons with the approval of the Government.

(xxv) The council shall have power to include any department as stakeholder department, as and when required, for whole time or specified time.

(xxvi)(a)Power to order removal of causes of accidents.—(i) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where the Council is satisfied on complaint, report by any person or otherwise that-

(ii) The act of any person or persons on a public road; or

(iii) The placement or positioning of any vehicle, animal, object built without the approval of any recognized administrative

authority, structure or materials including arches, banners, display boards, hoardings, awnings, tents, pandals, poles, platforms, rostrums, statues, monuments and other similar structures, on a public road; or

(iv) The movement of animals or vehicles on a public road; or

(v) The condition of any tree, structure or building situated in the vicinity of a public road; or

(vi) The entry or exit of any building or premise in the vicinity of a public road is likely to cause accidents or causes obstruction to the free flow of traffic or distract the attention or obstruct the vision of the driver of any vehicle, the Council may, after recording reasons thereof, direct the person concerned, either by a general or special order to be communicated by the Lead Agency, to take such measures within two months as it considers necessary and such person shall be bound to comply with the direction within such time, as may be specified by the Council.

(vii) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) of Rule 7 (a), in case of urgency, the Council may take such action as may be necessary to prevent accident or obstruction, as the case may be, and recover the cost thereof from the person responsible, in accordance with law.

(b) Power to order works.— (i) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Council to order any work or improvement on a public road, as it considers necessary, to secure safety on such roads and each concerned Government department or the local authority or any other authority shall be bound to carry out such works or improvement within such time, as case may be.

Provided that no order under this sub-section shall be issued in respect of any National Highway, except with the prior consultation of the Highway Authority of the respective area under whose control that NH exists.

Provided further that no order under this section shall be issued in respect of the State Highways/Major District Roads or

Rural Roads under the control of Road Construction Department/Rural Works Department or the Local Self Government Institutions without prior consultation with the respective authorities.

(ii) It shall be the duty of every officer of the Government, local authority or any other authority to act in aid of the Council in enforcing the orders under sub-rule (b) (i) of Rule 7.

(c) Power to recover cost.— If any person on whom a written order is served under sub rule (a) of Rule 7 refuses or fails to comply with the order, the Council through Lead Agency may take such action as to prevent danger and ensure safety to the public and may recover the cost with legitimate interest thereof from such person.

(d) Amounts recoverable as arrear of land revenue.—Any amount due to the Council under this rule shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable in the same manner as an arrear of revenue due on land.

8. Disposal of Business.- Every matter to be decided by the Council shall be considered and disposed off at the meetings of the Council in accordance with the decision of the majority of the members present.

9. Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Council.- No act or proceeding of the Council shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Council.

10. Meetings of the Council.—(1) The Council shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman of the Council and shall observe common rules of procedure in relation to transaction of business at the meetings;

(2) Every meeting of the Council shall be presided over by the Chairman of the Council;

(3) All the members of the Council shall attend the meeting of the Council;

(4) The Council shall meet respectively at least twice in a year;

(5)(i) The notice inviting members of the Council shall be issued by Member Secretary as defined in sub rule (m) of Rule 2 (1) above.

(ii) A notice of the meeting of the Council shall be communicated to the members at least seven days prior to the date fixed for the meeting by the Member Secretary.

(iii) The quorum of every meeting of the Council will be one third of the total number of the members.

11. Power and Functions of the Chairman.—(1) The Chairman of the Council shall preside over all the meetings of the Bihar Road Safety Council.

(2) The Chairman of the Council can call an extraordinary meeting of the Council, at anytime, for the transaction of any business, which in his opinion, is necessary to be placed before such a meeting.

(3) The Chairman may constitute Sub-Committee/Sub-Committees, for special purpose as and when required.

(4) The decision of the Chairman of the Council will be final in case of disagreement among the members of the Council.

(5) The Chairman of Council will be able to take decision on any matter which is important for fulfilling the objectives of the Road Safety. All such matters will be placed for the approval of the Council in its next meeting.

(6) He may invite any person or persons to participate in the meetings of the Council.

12. Constitution of the Executive Committee.—The Executive Committee shall comprise of the following members, namely:

(1) Development Commissioner, Bihar- Chief Executive Officer;

(2) Principal Secretary, Home--Member

(3) Principal Secretary/Secretary Health—Member;

(4) Principal Secretary/Secretary Education—Member;

(5) Principal Secretary/Secretary Transport Department-Member;

(6) Principal Secretary/Secretary, RCD— Member;

(7) Principal Secretary/Secretary, RWD– Member;

(8) Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing Department— Member;

(9) Principal Secretary/Secretary, Disaster Management Department, Bihar, Patna—Member;

(10) Additional Director General/Inspector General (CID) of Police—Member;

(11) State Transport Commissioner—Member Secretary;

(12) Officer-in-charge of the Lead Agency--Member;

Principal Secretary/Secretary of any other department may be called by the Chief Executive Officer as and when required for the furtherance of matter related to Road Safety;

The Chief Executive Officer may call any Member of Stakeholder Agencies as he deems necessary;

13. Power and Functions of the Executive Committee.—

(1) The Executive Committee will do all the works and discharge all such activities which are essential to fulfil the objectives enumerated in Rule- 7 above.

(2) In the meetings of the Executive Committee, there shall be thorough review of schemes and programs of each Co-ordination Committee, monitoring of achievements against pre-determined short term, medium term and long term targets; and the reports relevant shall be prepared to be presented before the Council.

(3) To decide the procedure for procurement/purchase of goods and services in consonance with the prevalent government rules and procedures and put up before the Council for approval.

(4) To make regular supervision and monitoring of the Stakeholder Departments and to take all necessary steps for timely achievement of targeted objectives of the Road Safety.

(5) Meeting of Executive Committee will be headed by the Chief Executive Officer of the Executive Committee. The Executive Committee will work under the general direction and supervision of the Chairman of the Executive Committee.

(6) The Chief Executive Officer of the Executive Committee can take decision on any work which is necessary for fulfilment of the objectives of the Road Safety. The approval of such cases will be obtained in the next meeting of the Executive Committee.

(7) In case of dissent of the members of the Executive Committee on any point, the Chief Executive Officer of the Executive Committee will take final decision.

(8) The Executive Committee will review the implementation and compliance of laid down policies and directions given by the Council from time to time.

(9) Assist the Council in framing of rules for the regulations, bye-laws and procedures of the Council and from time to time also assist in making required amendments, changes and annulments in them.

(10) Take all necessary actions for preparation of Annual Report, Annual Accounts, Financial Estimates and Audit Report and getting them approved by the Council.

(11) Take all necessary action for appointment of the auditor named for annual audit and put up for approval by the Council.

(12) Prepare the organisational structure, service conditions and appointment procedures regarding administration, scholars, experts, technical, secretarial and other posts for the Council and present it for the approval of the Council.

(13) To perform all those duties which are directed by the Council from time to time.

14. Meetings of the Executive Committee.—(1) The Executive Committee shall meet at such time and place as may be decided by the Chief Executive Officer and shall observe common rules of procedure in relation to transaction of business at the meetings;

(2) Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chief Executive Officer of the Executive Committee;

(3) All the members of the Executive Committee shall attend the meeting of the Executive Committee;

(4) The Executive Committee shall meet at least once in two months.

(5)(i)The notice inviting members of the Executive Committee for a meeting shall include date, time and place of the meeting fixed by the Chief Executive Officer of the Executive Committee and will be issued by Member Secretary as defined in sub rule (m) of Rule 2 (1) above.

(ii) A notice of the meeting of the Executive Committee shall be communicated to the members at least seven days prior to the date fixed for the meeting by the Member Secretary.

(iii) The quorum of every meeting of the Executive Committee will be one third of the total number of the members.

15. Power and Functions of the Chief Executive Officer.-

(1) Meeting of the Executive Committee will be chaired by the Chief Executive Officer.

(2) In case of dissent of the members of the Executive Committee on any point, the decision of the Chief Executive Officer shall be final.

(3) The Chief Executive Officer may take the services of experts/technocrats to assist them, as required from time to time with approval of State Government.

(4) To review the implementation of schemes, compliance of the policies and of the directions given.

(5) The Chief Executive Officer of the Executive Committee shall supervise the routine work of the Lead Agency.

(6) The Chief Executive Officer shall have power on all those matters which are not enumerated in any rules but which are necessary for the Road Safety issues and seek approval of the Executive Committee and the Council.

(7) The Chief Executive Officer may delegate such of his power (s) as deemed necessary to Lead Agency or Member Secretary of the Council in the interest of Road Safety issues.

(8) To perform all those duties, as directed by the Government, the Council and power delegated by any rules framed under Road Safety from time to time.

16. Road Safety Cell.- (1) There shall be a Road Safety Cell in all the stakeholder departments directly under the control of Principal Secretary/Secretary of the department and Additional Director General of Police/IG, Crime Investigation Department to look after all the matters related to issues, implementations and compliances related to Road Safety matters.